न्यूज़ टुडे

लोक सभा ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पारित किया

यह विधेयक **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के स्थान पर लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पत्तनों से संबंधित कानूनों को समेकित करना है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **राज्य समुद्रीय विकास परिषद की स्थापना:** इसकी स्थापना **केंद्र सरकार** द्वारा की जाएगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग **मंत्री** इसके पदेन **अध्यक्ष होंगे**।
- **राज्य समुद्री बोर्ड:** इन्हें **राज्य सरकारों** द्वारा गठित किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी महापत्तनों से भिन्न पत्तनों का प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन करना होगा।
- **विवाद समाधान:** राज्य सरकारों को **विवाद समाधान समितियां (DRCs)** गठित करने का अधिकार दिया गया है। ये **महापत्तनों से भिन्न पत्तनों से जुड़े विवादों का निपटान** करेंगी। इन समितियों के निर्णय के खिलाफ संबंधित **हाई कोर्ट में अपील** की जा सकेगी।
  - समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर किसी भी **सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं** होगा।
- **पत्तन प्रशुल्क:** पत्तनों के लिए यह प्रशुल्क **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पत्तनों के लिए गठित **बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड** द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  - **महापत्तनों से भिन्न पत्तनों** के मामले में यह प्रशुल्क **राज्य समुद्री बोर्डों** द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- **नये पत्तनों की अधिसूचना और पत्तन की सीमाओं में परिवर्तन:** यह कार्य **केंद्र सरकार** द्वारा **संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श** से किया जाएगा।
- **मेगा पोर्ट:** यह विधेयक **राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार** को एक या एक से अधिक पत्तन/ पत्तनों को मेगा पोर्ट के रूप में **वर्गीकृत करने के लिए मानदंड** निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- **पर्यावरण एवं सुरक्षा संबंधी अनुपालन:** यह **जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (MARPOL)** और **ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

भारत में पत्तनों के बारे में

- **महापत्तन:** भारत में **12 महापत्तन** हैं, जो **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021** के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
- **महापत्तनों से भिन्न पत्तन या लघु पत्तन:** देश में इनकी **संख्या 213** है। इन्हें **राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

केंद्र सरकार ने गंभीर आरोपों या दोषसिद्धि के मामलों में OCI कार्ड के नियम सख्त किए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D** के तहत यह अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में रद्द किया जा सकता है, यदि:**
  - किसी व्यक्ति को **कम-से-कम दो साल की जेल की सजा** सुनाई गई हो; या
  - किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए **चार्जशीट दायर** की गई हो, जिसमें **सात साल या उससे अधिक की कैद** का प्रावधान हो।

OCI कार्ड के बारे में

- OCI कार्ड योजना 2005 में **नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** के माध्यम से शुरू की गई थी।
  - 2015 में, **पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO)** कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया था और **सभी PIO कार्डधारकों को OCI कार्डधारक** मान लिया गया।
- OCI कोई **'दोहरी नागरिकता'** नहीं है। यह **राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं** करता है।
- **OCI पंजीकरण रद्द करने के आधार:**
  - धोखाधड़ी से पंजीकरण लिया हो;
  - भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो;
  - भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोकहित के लिए आवश्यक हो आदि।
- **OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:**
  - **OCI कार्डधारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध** है। वे भारत में कई बार आ-जा सकते हैं। वास्तव में, यह **बहुउद्देशीय** कार्ड है।
  - भारत में **किसी भी अवधि** के लिए ठहरने हेतु **विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट।**
  - **आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों** में उन्हें **अनिवासी भारतीयों (NRIs)** के समान सुविधाएं दी जाती हैं।
    - हालांकि, **OCI कार्डधारकों को भारत में कृषि-भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है।**

OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता

- कोई भी विदेशी नागरिक OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है, यदि वह:
  - 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद **भारत के नागरिक** थे; या
  - 26 जनवरी, 1950 को **भारत के नागरिक बनने के पात्र** थे; या
  - उस क्षेत्र से संबंधित थे जो **15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना**; या
  - उपर्युक्त दोनों पात्रताओं के तहत आने वाले नागरिकों की **संतान या पोते-पोती या परपोते-परपोती**; या
  - एक नाबालिग बच्चा, जिसके **दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत की/का नागरिक है**; या
  - भारत के नागरिक का/की **विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, या OCI कार्डधारक** का/की विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, जिनका विवाह **पंजीकृत हो और कम-से-कम दो वर्ष** तक अस्तित्व में रहा हो।
  - **अपवाद:** वह व्यक्ति जो **पाकिस्तान, बांग्लादेश** या किसी ऐसे अन्य देश का नागरिक है या रहा है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, वह OCI के लिए पात्र नहीं है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) (IBC) विधेयक, 2025 को संसद की प्रवर समिति को भेजा गया

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के बारे में

- यह भारत में सभी संस्थाओं (कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों) के दिवाला समाधान के लिए एक व्यापक कानून है।
- यह बाजार की खामियों और सूचना संबंधी कमियों को दूर करती है। इससे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान व्यवस्था के माध्यम से वाणिज्यिक संस्थाओं एवं उद्यमियों को "ऋण दबावग्रस्त कंपनी या कारोबार को बंद करने की स्वतंत्रता" मिलती है।
- दिवाला समाधान के लिए "डेब्टर इन पॉसेशन" दृष्टिकोण के स्थान पर "क्रेडिटर इन कंट्रोल" व्यवस्था को अपनाया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) (IBC) विधेयक, 2025 के उद्देश्य:

- दिवाला (Insolvency) और शोधन अक्षमता (Bankruptcy) से संबंधित मामलों के निपटान में विलंब को कम करना;
- सभी हितधारकों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना; तथा
- दिवाला के समाधान के लिए वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करने वाले नए प्रावधानों को लागू करना।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **समाधान में तेजी लाना और विलंब को कम करना**
  - **NCLT की अनिवार्य समय-सीमा:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के लिए 14 दिनों के भीतर दिवाला संबंधी मामले को स्वीकार करने और 30 दिनों के भीतर समाधान योजना को मंजूरी देना अनिवार्य किया गया है।
    - **कोर्ट से बाहर ऋणदाता द्वारा सुझाया गया समाधान:** यह कारोबार में कम-से-कम व्यवधान के साथ तीव्र एवं अधिक लागत प्रभावी दिवाला समाधान की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, इससे न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी सहायता मिलती है।
- **अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों की रक्षा करना**
  - **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को लागू करना:** NCLT असाधारण मामलों में एक बार CIRP को लागू कर सकता है। यह किसी समाधान योजना के स्वीकृत न होने या उसे अस्वीकार कर देने पर **ऋणदाताओं की समिति (CoC) के अनुरोध** पर किया जा सकता है।
- **गवर्नेंस और अनुपालन को बढ़ाना**
  - **ग्रुप इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क:** इस विधेयक में "**वोलंटरी ग्रुप इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क**" को प्रस्तुत किया गया है। यह घरेलू कॉर्पोरेट समूह के भीतर संकटग्रस्त कंपनियों के संयुक्त समाधान की सुविधा प्रदान करता है। यह कदम कॉर्पोरेट समूह और उनकी कंपनियों के मध्य परस्पर संबद्ध को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
  - **सीमा-पार दिवाला समाधान फ्रेमवर्क:** यह **सीमा-पार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर दिवाला समाधान के लिए एक संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुपालन के साथ ऋणदाताओं को संकटग्रस्त कंपनियों की विदेशी परिसंपत्तियों तक आसान पहुंच मिल सकेगी।
  - **क्लीन स्लेट सिद्धांत को मजबूत करना:** यह विधेयक स्पष्ट रूप से "**क्लीन-स्लेट सिद्धांत**" को मजबूत करता है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक बार समाधान योजना स्वीकृत हो जाने पर, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी दावे समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि समाधान योजना में अलग से कुछ और न लिखा गया हो।

भारत ने बांग्लादेश से कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं के आयात पर पत्तन संबंधी प्रतिबंध आरोपित किए

ये प्रतिबंध **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** ने **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992** तथा **विदेश व्यापार नीति, 2023** के तहत अधिसूचित किए हैं।

भारत द्वारा बांग्लादेश पर हाल ही में लगाए गए व्यापार प्रतिबंध

- **रेडीमेड गारमेंट्स और जूट पर प्रतिबंध:** भारत ने कुछ विशेष श्रेणी के रेडीमेड गारमेंट्स और जूट उत्पादों को लैंड पोर्ट से आने पर रोक लगा दी है। इन वस्तुओं को केवल **महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह** से आयात करने की अनुमति है।
- भारत ने **असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लैंड पोर्ट्स एवं भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा फलों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों आदि के निर्यात पर भी प्रतिबंध** लगा दिया है।
- मार्च 2025 में, भारत ने **2020 के समझौते के तहत ट्रांसशिपमेंट सुविधा** को रद्द कर दिया था। इस सुविधा के तहत, **बांग्लादेशी उत्पाद भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCSs) के माध्यम से तीसरे देशों को निर्यात** किए जा सकते थे।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूद अन्य बाधाएं

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़, जिसकी पहली त्रिपक्षीय बैठक कुनमिंग में हुई थी।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** 2024 में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के पद त्याग करने के बाद से वहां कोई निर्वाचित सरकार नहीं है।
- **बढ़ती कट्टरपंथी सोच और अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार:** इनसे बांग्लादेश एवं भारत दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **आंतरिक सुरक्षा समस्याएं:** बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासन (जैसे रोहिंग्या), विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, टकराव का कारण बन रहा है।
- **नदी जल विवाद:** जल के बंटवारे (जैसे – तीस्ता नदी) के लिए उचित व्यवस्था का अभाव है।

जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) 8 साल के निचले स्तर पर आई

जुलाई 2025 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर **1.55%** हो गई, जो पिछले 8 साल में सबसे निचला स्तर है। अखिल भारतीय **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** द्वारा मापी गई यह मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद **सबसे कम वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर** दर्शाती है।

- इसके अलावा, **अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) या खाद्य मुद्रास्फीति** पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर जुलाई 2025 में **-1.76%** रही। यह **जनवरी 2019 के बाद सबसे कम** है।

गिरावट के कारण

- **अनुकूल आधार प्रभाव:** इसका अर्थ किसी संदर्भित वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा संवृद्धि दर पर पड़ने वाला प्रभाव है।
- **मुद्रास्फीति में गिरावट:** दालें और उत्पाद, परिवहन व संचार, सब्जियां, अनाज एवं उत्पाद, शिक्षा जैसी मदों की कीमतों में कमी आई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बारे में

- **अर्थ:** यह कुछ निश्चित **वस्तुओं और सेवाओं** के समूह के लिए समय के साथ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई **कीमतों में औसत परिवर्तन** को मापता है।
- **महत्त्व:** यह मुद्रास्फीति का एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला **मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि अर्थशास्त्रीय) संकेतक** है। इसका उपयोग सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, राष्ट्रीय खातों में अपस्फीतिकारकों (Deflator) के रूप में, और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते** तय करने के लिए किया जाता है।
- **प्रकाशक:** इसे **प्रत्येक महीने की 12 तारीख** को **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- **घटक: राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रकार के CPI हैं:**
  - औद्योगिक श्रमिकों (IW) के लिए CPI,
  - कृषि मजदूरों (AL) के लिए CPI,
  - ग्रामीण मजदूरों (RL) के लिए CPI, तथा
  - शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों (UNME) के लिए CPI।
- **CPI का आधार वर्ष:** 2012 है।
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से तुलना:** WPI **थोक स्तर पर मुद्रास्फीति** को मापता है और इसकी **भारांश पद्धति** CPI से अलग होती है।
  - CPI में **खाद्य पदार्थों** का भारांश **अधिक** होता है, जबकि WPI में **ईंधन समूह** का भारांश अधिक होता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी

इन परियोजनाओं की स्थापना **ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश** में की जाएगी। इस मंजूरी के साथ, **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन** (ISM) के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या **6 राज्यों में 10** हो गई है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के बारे में

- **स्वीकृति:** 2021 में, 76,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ।
- **उद्देश्य:** सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले निर्माण और चिप डिजाइन में निवेश के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करना, ताकि **भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बेहतर तरीके से समेकित** किया जा सके।
- **मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- **ISM का मुख्य फोकस**
  - **चिप विनिर्माण संयंत्र (फैब)** स्थापित करना।
  - **पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट विकसित** करना।
  - चिप डिजाइन में स्टार्ट-अप्स को **सहयोग प्रदान** करना।
  - **युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षण** देना।
  - **वैश्विक कंपनियों** को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना।
- **ISM के तहत प्रमुख योजनाएं**
  - **सेमीकंडक्टर फैब्स योजना:** यह सेमीकंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन (फैब) इकाइयों की स्थापना के लिए **50% तक वित्तीय सहायता** प्रदान करती है।
  - **डिस्प्ले फैब्स योजना:** डिस्प्ले फेब्रिकेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए **परियोजना लागत का 50%** तक वित्तीय सहयोग देती है।
  - **डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना: सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को उत्पाद विकास के विविध चरणों में वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन देती है।
- **सेमीकॉन (SEMICON) इंडिया कार्यक्रम:** यह ISM के माध्यम से कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **मिशन का महत्त्व:**
  - **भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार की क्षमताओं** का दोहन करना। इस बाजार के **2030 तक 100-110 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।
  - **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करना** और **ताइवान, चीन, अमेरिका** जैसे देशों पर निर्भरता को कम करना।
    - **ताइवान, विश्व में विनिर्मित सेमीकंडक्टर में से 60% से अधिक** का उत्पादन करता है।

अन्य सुर्खियां

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152

सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या **भारतीय न्याय संहिता की धारा 152** के **"दुरुपयोग की संभावना"** को **किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल** किया जा सकता है।

- ध्यातव्य है कि **भारतीय न्याय संहिता** (BNS), 2023 को **भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर लाया गया है।**

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के बारे में

- इसमें **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को शामिल** किया गया है।
  - इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति **जानबूझकर शब्दों, संकेतों, दृश्य चित्रण** आदि के माध्यम से अलगाव/सशस्त्र विद्रोह/विध्वंसक गतिविधियों को उकसाता है/उकसाने का प्रयास करता है तो उसे **आजीवन कारावास या 7 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना** भी देना होगा।
- यदि कोई व्यक्ति **सरकार के कदमों या प्रशासनिक कार्यों की आलोचना** करता है, और वह आलोचना इस उद्देश्य से होती है कि **उन कदमों या कार्यों को वैध तरीके से बदला जाए**, तो वह आलोचना इस कानून के तहत दंडनीय नहीं होगी।

शॉर्ट ट्रांसफर

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सरकार द्वारा दशकों से उपकर के रूप में एकत्रित **3.69 लाख करोड़ रुपये** के 'शॉर्ट ट्रांसफर' की बात उजागर की है।

शॉर्ट ट्रांसफर के बारे में

- इसका आशय एकत्रित उपकर की पूरी राशि को निर्धारित रिजर्व में ट्रांसफर न करना है।
  - ट्रांसफर में सबसे अधिक कमी **तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) में देखी गयी है।**
    - OIDB का उद्देश्य तेल उद्योग का विकास करना है।
- **उपकर** (Cesses) **वैधानिक शुल्क हैं**, जिनसे जुटाए गए फंड विशेष उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च किए जाते हैं।
- **कई उपकर** को पहले **भारत की संचित निधि** में एकत्र किया जाता है, फिर उसे विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए **लोक लेखा (पब्लिक अकाउंट)** में ट्रांसफर किया जाता है।

एल्डर्स ग्रुप

एल्डर्स ग्रुप के अंतरराष्ट्रीय राजनेताओं ने पहली बार गाजा की स्थिति को **"स्वरुप लेता नरसंहार"** (Unfolding genocide) कहा है।

एल्डर्स ग्रुप के बारे में

- **स्थापना:** इसे 2007 में **नेल्सन मंडेला** ने 'स्वतंत्र वैश्विक राजनेताओं के समूह' के रूप में स्थापित किया।
- **विजन:** एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां लोग **शांति से रहें** तथा **न्याय, मानवाधिकार और संधारणीय विकास** पर आधारित पृथ्वी का उपयोग करें।
- **मिशन:** **निजी कूटनीति** और **जन समर्थन** के माध्यम से विश्व के नेताओं के साथ जुड़ना, ताकि अस्तित्व के संकट का समाधान किया जा सके और नैतिकता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सलाहकार परिषद:** इसमें दानदाता और एल्डर्स ग्रुप के उदार योगदानकर्ता शामिल होते हैं।
- **द एल्डर्स टीम:** यह **लंदन** में स्थित है और एल्डर्स ग्रुप को सहायता प्रदान करती है।

आइडियोनेला साकाइएन्सिस (Ideonella Sakaiensis)

शोधकर्ताओं ने **आइडियोनेला साकाएन्सिस** नामक बैक्टीरिया की पहचान की है, जो PET (पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलैट) को विघटित कर सकता है। ध्यातव्य है कि PET का सबसे अधिक उपयोग **बोतलों के निर्माण और फूड पैकेजिंग** में किया जाता है।

आइडियोनेला साकाइएन्सिस के बारे में

- यह एक बैक्टीरिया है जिसे जापान में **प्लास्टिक बोतल रीसाइक्लिंग प्लांट** के पास खोजा गया है।
- यह विशेष प्रकार के **एंजाइम** उत्पन्न करता है जो PET को **पर्यावरण के लिए हानिरहित घटकों** में तोड़ते हैं, जिन्हें यह बैक्टीरिया बाद में आहार-स्रोत के रूप में उपयोग करता है।
- **महत्व:** इसका उपयोग प्लास्टिक के **दक्ष और विशाल जैव-अपघटन प्रणालियों** के विकास के लिए किया जा सकता है। साथ ही, यह **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा** देने में मदद कर सकता है।

पुश एंड पुल ट्रांजेक्शन

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) लेनदेन में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में 'पुल ट्रांजेक्शन' को बंद कर सकता है।

- वर्तमान में, NPCI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) 'पुश' एंड 'पुल', दोनों प्रकार के लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की अनुमति देता है।

पुश एंड पुल ट्रांजेक्शन के बारे में

- **पुश ट्रांजेक्शन:** यह भुगतानकर्ता (Payer) द्वारा भुगतान करने के लिए फंड प्राप्तकर्ता के QR को स्कैन करके या UPI ID को दर्ज करके शुरू किया जाता है।
- **पुल ट्रांजैक्शन:** यह लेनदेन फंड प्राप्तकर्ता (Beneficiary) द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें भुगतानकर्ता द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या दर्ज करते ही ट्रांजैक्शन स्वीकृत हो जाता है। उदाहरण के लिए, चेक, डेबिट कार्ड आदि।

अपार/ APAAR ID

CBSE ने कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण तथा 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 12 अंकों की 'ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) ID' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया।

APAAR ID के बारे में

- **शुरुआत:** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2024-25 सत्र से स्कूलों के लिए लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:** प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट और स्थायी 12-अंकीय ID प्रदान करके, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों (डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि) को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना।
  - इससे देशभर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज एक ही जगह आसानी से सुलभ हो सकेंगे।

भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने आगाह किया है कि भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) में चार धाम बारहमासी सड़क चौड़ीकरण परियोजना से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) के बारे में

- **अधिसूचना:** इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिसूचित किया गया और तत्पश्चात 2018 में इसमें कुछ संशोधन किये गए।
- **विस्तार:** इसमें गोमुख से उत्तरकाशी तक 4179.59 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।
- **जोनल मास्टर प्लान (ZMP):** उत्तराखंड सरकार को वाटरशेड दृष्टिकोण के आधार पर जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार दिया गया है तथा इसमें वनों और वन्यजीवों आदि के प्रमुख क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- **इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ):** इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
  - यह प्राकृतिक स्थलों, संरक्षित क्षेत्रों जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में कार्य करता है।

श्रेष्ठ/ SHRESTH पहल

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH) का शुभारंभ किया। यह राज्य औषधि विनियामक व्यवस्थाओं को मानकीकृत और मजबूत करने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है।

SHRESTH के बारे में

- SHRESTH से आशय है; स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स।
- यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की पहल है।
- **उद्देश्य:** देशभर में राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना, तथा यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित दवाइयां और इनसे जुड़े गुणवत्ता मानकों को निरंतर पूरा किया जाए।
- **इसमें पांच प्रमुख विषयों पर आधारित सूचकांक होंगे:** मानव संसाधन, अवसंरचना, लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां और जवाबदेही।

तातो-II जलविद्युत परियोजना

हाल ही में, आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-II जलविद्युत परियोजना (HEP) के निर्माण को मंजूरी दी।

तातो-II जल विद्युत परियोजना के बारे में

- **स्थापित क्षमता:** 700 मेगावाट (4 x 175 मेगावाट)
- **उत्पादित ऊर्जा:** 2738.06 मेगा यूनिट (MU) ऊर्जा।
- **कार्यान्वयन:** नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से।

अरुणाचल प्रदेश की अन्य जलविद्युत परियोजनाएं: सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन (600 मेगावाट), हीओ जलविद्युत परियोजना (240 मेगावाट), आदि।